

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौडगढ़

### अनवान

1. राजू ढोली पिता मनोज कुमार भांडजाति भांड(ढोली) आयु वयस्क निवासी पहुँना हाल निवासी कोशीथल तहसील चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़।
2. राधाबाई पुत्री मनोज कुमार भांड पत्नि राजूलाल ढोली आयु वयस्क निवासी पहुँना हाल निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।

### वादीगण

#### बनाम

1. मनोज कुमार पिता मदनलाल वर्मा, जाति भांड(ढोली) आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ ~~मुक्तक के बजाय~~
- 1/1 केसर बाई पत्नि मनोज कुमार जाति भांड(ढोली) आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ राज0।
2. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब पदेन उप पंजीयक तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
3. श्रीमान पटवारी साहब पटवार हल्का पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।

### प्रतिवादीगण

--:: वादपत्र खातेदारी अधिकार की घोषण, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::-

**प्रकरण संख्या :- 035/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री कैलाशचन्द्र रेगर अधिवक्ता वादी श्री कैलाशचन्द्र सुखवाल अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पहुँना पटवार हल्का पहुँना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1906,1904,1907,1908 का राजू ढोली पिता मनोज कुमार भांड ,राधाबाई पुत्री मनोज कुमार भांड,केसर बाई पत्नि मनोज कुमार जाति भांड को संयुक्त खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। वर्तमान में दर्ज मनोज कुमार पिता मदनलाल वर्मा जाति भांड का नाम हटाया जायें। तदनुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जायें शेष अंकन बदस्तूर किया जायें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(~~श्री~~)  
(~~श्री~~)  
सहायक कलेक्टर,  
(उप ~~अध्यक्ष~~ ~~जिला~~ ~~राशमी~~)  
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		



(नीता वरीसे)  
 सहायक कलेक्टर,  
 (उपजिल्हा अधीक्षकी) री  
 राक्षामी